



क.रा.बी.नि.  
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001  
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314  
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in  
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

## प्रेस वृत्तिपत्र

### कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 15-05-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स से वका ज्वेलर्स प्रा. ल. के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री अशोक कुमार जो पटना में हात्स कीपर के पद पर कार्यरत थे उनकी आ श्रता पत्नी- रेखा देवी, पुत्री - वंदना कुमारी एवं रंजना कुमारी को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. अशोक कुमार की मृत्यु दिनांक 05-12-2024 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी । वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ थक रूप से उन पर निर्भर था। नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लाए मा सक पेंशन स्वीकृत किया गया । पेंशन के रूप में 296 रु. प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह रु. 8,880/- आ श्रतों को मिलेगा । दुर्घटना की तिथि से आज तक लगभग रु.44400/- रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक

